फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रतनलाल बनाम अमरचंद

किस्म मुकदमा ....225 आर.टी.एक्ट.......................... मुकदमा नंबर......120...........सन...2022....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
20/10/2022	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा मुकदमा संख्या 166/2021 बउनवान अमरचंद बनाम रतनलाल में पारित आदेष दिनांक 01.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रस्तुत कर घोषणा, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेष पारित किया है। रेस्पोडेन्ट जैर अपील आदेष की आड में अपीलांट की कब्जाषुदा आराजी से बेदखल करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी, प्रकरण में इन हालातो में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेष की पालना व क्रियान्विति स्थगित की जावे। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 1.09.2022 पारित कर वादग्रस्त आराजी का बेचान, हस्तान्तरण, रहन नही करने एवं वर्तमान मौके स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने एवं वर्तमान मौके स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने तथा कब्जा पक्का निर्माण आदि नहीं करने तथा कच्चा पक्का निर्माण आदि नहीं करने हेतु उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवाडे का दावा विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजी पर हक हिस्से का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही सम्भव होगा, किन्तु अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट वादग्रस्त आराजी के किसी विशेष भू–भाग पर निर्माण आदि करते है तो निश्चय ही अनावश्यक वाद बाहुल्यता होगी। अतः हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विचाराधीन प्रकरण संख्या 166/2021 बउनवान अमरचंद बनाम रतनलाल में पारित आदेश दिनांक 01.09.2022 के सम्बन्ध में उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति उपखण्ड अधिकारी जैतारण को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली।